23/12/19 — बाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली वाले जवाब दिनांक 07-01-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

07/01/2020 - पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी नं० 3 व 4 की ओर से वकील श्री फिरोज खान द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शा० फा० किया। प्रति० नं० 1 व 2 के सम्मन बाद तामील प्राप्त नहीं हुए हैं इन्तजार किया जाकर पत्रावली दि० 30/01/2020 को पेश हो।

11-2-20 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वादी पक्ष लिखित डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामिल तकमिल दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

—वादी

बनाम

1. रफीक खां पिता मेण्डूखां जाति मेवाती निवासी खेडी मेवातियान तहसील मनोहरथाना
2. नजीर खां पिता रफीक खां जाति मेवाती निवासी खेडी मेवातियान तह. मनोहरथाना
3. कमरू खां पिता मेण्डूखां जाति मेवाती निवासी खेडी मेवातियान तहसील मनोहरथाना
4. पप्पूखां पिता कमरू खां जाति मेवाती निवासी खेडी मेवातियान तहसील मनोहरथाना

— प्रतिवादीगण

वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :— श्री अशोक कुमार अधिवक्ता वादी

श्री फिरोज खांन प्रतिवादी नम्बर 3, 4

निर्णय दिनांक 11-2-20

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जर्ये अधिवक्ता वाद अर्न्तगत धारा 183 आर.टी.एक्ट इस आशाय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम पून्याखेडी पटवार हल्का बांसखेडी मेवातियान तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संया नया 138 पुरानी 123 की खसरा संख्या 266 की 3.06 बीघा, 667/265 की 2.00 बीघा, 668/525 की 1.00 बीघा 670/255 की 0.03 बीघा कुल 4 किता की 6.09 बीघा आराजी वादीगण एवं अन्य सहखातेदारान के शामिल खाते दर्ज है।

वाद कि मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी वादीगण एवं अन्य सहखातेदारान के शामिल खाते में है तथा उक्त आराजी में से खसरा संख्या 668/525 की 1.00 बीघा आराजी एवं खसरा संख्या 667/265 की 1.00 बीघा आराजी जिसके हम खातेदार मालिक स्वामी एवं काबिज है एवं हिस्सेदार है।

वाद कि मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी के खसरा संख्या 668/225 की 1.00 बीघा एवं खसरा संख्या 667/265 की 1.00 बीघा आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4

ड अधिकारी
ोहरथाना

Scanned by CamScanner

...पूर्वक नाजायज रूप से अर्सा 2-3 साल पूर्व जबरन कब्जा कर रखा है। जो बहेसियत अतिक्रमी एवं बेदखल होने योग्य है।

वाद कि मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी के खसरा संख्या 668/525 की 1.00 बीघा एवं खसरा संख्या 667/265 की 1.00 बीघा आराजी पर से वादीगण ने प्रतिवादीगण से कब्जा हटाने बाबत कई बार कहा परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई सुनवाई नही की, अन्तिम बार दिनांक 15.11.2019 को जब वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त आराजी से कब्जा हटाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने कब्जा छोडने से साफ इन्कार कर दिया एवं लडाई झगडा करने पर आमादा हुए इस कारण वाद उत्पन्न हुआ।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये संम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में अपने शपथ पत्र पेश किये गये है। जो शामिल पत्रावली किये गये। बहस सुनी गई। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी संख्या 2071 से 2074 का अवलोकन किया है, साथ अवलोकन करने स्पष्ट होता है कि वाद में अंकित आराजी पर वादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है। प्रतिवादीगण ने इस आराजी पर किस आधार पर कब्जा किया है। अपने जवाब में स्पष्ट नहीं किया है अपितु बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है। जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद से कोई आपत्ति नहीं है।

अतः दावा डिक्री किया जाने योग्य होने से डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कि ग्राम पून्याखेडी पटवार हल्का बांसखेडी मेवातियान तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 138 पुरानी 123 की की कुल 4 किता की 6.09 बीघा आराजी में से खसरा संख्या 668/525 की 1.00 बीघा एवं खसरा संख्या 667/265 की 1.00 बीघा आराजी से प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी दिलाया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई
आर.रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या 149/दावा/19

तारीख दायरा 23.12.2019

उनवान

बाबू खां पिता मंगल खां जाति मेवाती निवासी बांसखेडा तहसील मनोहरथाना

—वादी

बनाम

1. रफीक खां पिता मेण्डूखां जाति मेवाती निवासी खेडी मेवातियान तहसील मनोहरथाना
2. नजीर खां पिता रफीक खां जाति मेवाती निवासी खेडी मेवातियान तह. मनोहरथाना
3. कमरू खां पिता मेण्डूखां जाति मेवाती निवासी खेडी मेवातियान तहसील मनोहरथाना
4. पप्पूखां पिता कमरू खां जाति मेवाती निवासी खेडी मेवातियान तहसील मनोहरथाना

— प्रतिवादीगण

वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतंई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री अशोक कुमार वकील मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि :— वाद वादी फर्द डिग्री किया जाता है कि तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम पून्याखेडी पटवार हल्का बांसखेडी मेवातियान तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 138 पुरानी 123 की की कुल 4 किता की 6.09 बीघा आराजी में से खसरा संख्या 668/525 की 1.00 बीघा एवं खसरा संख्या 667/265 की 1.00 बीघा आराजी से प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी दिलाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना
उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

आज दिनांक 11-2-20 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर कार्यालय से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना
उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner